राजकीय महाविद्यालय ढलियारा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा हि0प्र0 के छात्र निधि लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/2012 से 3/2016

भाग—एक

1. गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन :—

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्यवाही की वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सत्यापना की गई। वर्तमान अंकेक्षण उपरान्त अनिर्णीत पैरों की नवीनतम स्थिति निम्नलिखित प्रकार से पाई गई। दीर्घकाल से लम्बित चले आ रहे अनिर्णीत पैरों के पूर्ण निपटारे हेतु अविलम्ब कार्यवाही करके इस विभाग को सूचित किया जाए।

(क) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 8/1984 से 3/1989

1.	पैरा संख्या 1 (बी)	अनिर्णीत
2.	पैरा संख्या 3 (1)	अनिर्णीत
3.	पैरा संख्या 3 (2)	अनिर्णीत
4.	पैरा संख्या 3 (3)	अनिर्णीत
5.	पैरा संख्या 3 (4)	अनिर्णीत
6.	पैरा संख्या 3 (5)	अनिर्णीत
7.	पैरा संख्या 3 (6)	अनिर्णीत
8.	पैरा संख्या 3 (8)	अनिर्णीत
9.	पैरा संख्या 4 (1)	अनिर्णीत
10.	पैरा संख्या 4 (2)	अनिर्णीत
11.	पैरा संख्या 4 (5)	अनिर्णीत
12.	पैरा संख्या 5	अनिर्णीत
13.	पैरा संख्या 6 (3)	अनिर्णीत
14.	पैरा संख्या 7 (1)	अनिर्णीत
15.	पैरा संख्या 7 (2)	अनिर्णीत
16.	पैरा संख्या 7 (3)	अनिर्णीत
17.	पैरा संख्या 8 (2)	अनिर्णीत

18.	पैरा संख्या 8 (3)	अनिर्णीत
19.	पैरा संख्या 8 (4)	अनिर्णीत
20.	पैरा संख्या 8 (5) (ए)	अनिर्णीत
21.	पैरा संख्या 8 (5) (बी)	अनिर्णीत
22.	पैरा संख्या 8 (5) (सी)	अनिर्णीत
23.	पैरा संख्या 8 (6) (ए)	अनिर्णीत
24.	पैरा संख्या 8 (6) (बी)	अनिर्णीत
25.	पैरा संख्या 8 (6) (सी)	अनिर्णीत
26.	पैरा संख्या 8 (8)	अनिर्णीत
27.	पैरा संख्या 8 (10)	अनिर्णीत
28.	पैरा संख्या 8 (11)	अनिर्णीत
29.	पैरा संख्या 8 (12)	अनिर्णीत
30.	पैरा संख्या 8 (13)	अनिर्णीत
31.	पैरा संख्या 8 (17)	अनिर्णीत
32.	पैरा संख्या 8 (18)	अनिर्णीत
33.	पैरा संख्या 11 (1)	अनिर्णीत
34.	पैरा संख्या 11 (2)	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1989 से 3/1992

1.	पैरा संख्या 4 (1)	अनिर्णीत
2.	पैरा संख्या 4 (3)	अनिर्णीत
3.	पैरा संख्या 4 (7)	अनिर्णीत
4.	पैरा संख्या 6 (1)	अनिर्णीत
5.	पैरा संख्या 6 (2)	अनिर्णीत
6.	पैरा संख्या 6 (3)	अनिर्णीत
7.	पैरा संख्या 8 (1)	अनिर्णीत
8.	पैरा संख्या 9 (1)	अनिर्णीत
9.	पैरा संख्या 9 (2)	अनिर्णीत
10.	पैरा संख्या 10	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1992 से 3/1994

1.	पैरा संख्या 6 (क)	अनिर्णीत
2.	पैरा संख्या 6 (ख)	अनिर्णीत
3.	पैरा संख्या 6 (ग) (3)	अनिर्णीत
4.	पैरा संख्या 6 (च)	अनिर्णीत
5.	पैरा संख्या 6 (छ)	अनिर्णीत
6.	पैरा संख्या 6 (झ)	अनिर्णीत
7.	पैरा संख्या 6 (ट, ठ, ढ, ण, त, थ, द, ध)	अनिर्णीत
8.	पैरा संख्या 8 (क)	अनिर्णीत
9.	पैरा संख्या 8 (ख)	अनिर्णीत
10.	पैरा संख्या 9 (क)	अनिर्णीत
11.	पैरा संख्या 9 (ख)	अनिर्णीत
12.	पैरा संख्या 10 (क)	अनिर्णीत
13.	पैरा संख्या 10 (ख)	अनिर्णीत
14.	पैरा संख्या 12 (क)	अनिर्णीत
15.	पैरा संख्या 12 (ख)	अनिर्णीत
16.	पैरा संख्या 12 (घ)	अनिर्णीत
17.	पैरा संख्या 13 (क)	अनिर्णीत
18.	पैरा संख्या 13 (ग)	अनिर्णीत
19.	पैरा संख्या 13 (घ)	अनिर्णीत
20.	पैरा संख्या 13 (ङ.)	अनिर्णीत
21.	पैरा संख्या 14	अनिर्णीत
22.	पैरा संख्या 15 (ख)	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1994 से 3/1998

1.	पैरा संख्या 4 (7) (क)	अनिर्णीत
2.	पैरा संख्या 4 (7) (ख)	अनिर्णीत
3.	पैरा संख्या 4 (8) (क)	अनिर्णीत

4.	पैरा संख्या 4 (9) (क,ख,ग,घ)	अनिर्णीत
5.	पैरा संख्या 4 (10)	अनिर्णीत
6.	पैरा संख्या 4 (11) (क,ख)	अनिर्णीत
7.	पैरा संख्या 4 (15) (क,ख,ग)	अनिर्णीत
8.	पैरा संख्या 4 (20)	अनिर्णीत
9.	पैरा संख्या 4 (21) (क)	अनिर्णीत
10.	पैरा संख्या 4 (22)	अनिर्णीत
11.	पैरा संख्या 4 (23)	अनिर्णीत
12.	पैरा संख्या 4 (24)	अनिर्णीत
13.	पैरा संख्या 5 (1) (क)	अनिर्णीत
14.	पैरा संख्या 5 (1) (ख)	अनिर्णीत
15.	पैरा संख्या 5 (1) (ग)	अनिर्णीत
16.	पैरा संख्या 5 (2) (क)	अनिर्णीत
17.	पैरा संख्या 5 (2) (ख)	अनिर्णीत
18.	पैरा संख्या 5 (2) (ग)	अनिर्णीत
19.	पैरा संख्या 5 (3)	अनिर्णीत
20.	पैरा संख्या 5 (4)	अनिर्णीत
21.	पैरा संख्या 5 (5)	अनिर्णीत
22.	पैरा संख्या 5 (6)	अनिर्णीत
23.	पैरा संख्या 6 (1) (क)	अनिर्णीत
24.	पैरा संख्या 6 (1) (ख)	अनिर्णीत
25.	पैरा संख्या 6 (2) (क)	अनिर्णीत
26.	पैरा संख्या 6 (2) (ख)	अनिर्णीत
27.	पैरा संख्या 6 (4)	अनिर्णीत
28.	पैरा संख्या 6 (6)	अनिर्णीत
29.	पैरा संख्या 7 (1)	अनिर्णीत
30.	पैरा संख्या 7 (2)	अनिर्णीत
31.	पैरा संख्या 7 (2) (क)	अनिर्णीत

32.	पैरा संख्या 7 (2) (ख)	अनिर्णीत
33.	पैरा संख्या 7 (2) (ग)	अनिर्णीत
34.	पैरा संख्या 7 (3) (क)	अनिर्णीत
35.	पैरा संख्या 7 (3) (ख)	अनिर्णीत
36.	पैरा संख्या 8 (1)	अनिर्णीत
37.	पैरा संख्या 8 (2) (क,ख)	अनिर्णीत
38.	पैरा संख्या 8 (3) (क)	अनिर्णीत
39.	पैरा संख्या 8 (3) (ख)	अनिर्णीत
40.	पैरा संख्या 8 (4)	अनिर्णीत
41.	पैरा संख्या 8 (5)	अनिर्णीत
42.	पैरा संख्या 9 (3) (क)	अनिर्णीत
43.	पैरा संख्या 9 (3) (ख)	अनिर्णीत
44.	पैरा संख्या 9 (6) (क)	अनिर्णीत
45.	पैरा संख्या 10 (4) (क)	अनिर्णीत
46.	पैरा संख्या 10 (4) (ख)	अनिर्णीत
47.	पैरा संख्या 10 (4) (ग)	अनिर्णीत
48.	पैरा संख्या 10 (5)	अनिर्णीत
49.	पैरा संख्या 10 (6)	अनिर्णीत
50.	पैरा संख्या 10 (7)	अनिर्णीत
51.	पैरा संख्या 11 (1)	अनिर्णीत
52.	पैरा संख्या 11 (2)	अनिर्णीत
53.	पैरा संख्या 11 (3)	अनिर्णीत
54.	पैरा संख्या 13 (1)	अनिर्णीत
55.	पैरा संख्या 13 (2) (क)	अनिर्णीत
56.	पैरा संख्या 13 (2) (ख)	अनिर्णीत
57.	पैरा संख्या 13 (4)	अनिर्णीत
58.	पैरा संख्या 13 (5)	अनिर्णीत
59.	पैरा संख्या 14 (1) (क)	अनिर्णीत

60.	पैरा संख्या 14 (1) (ग)	अनिर्णीत
61.	पैरा संख्या 14 (4)	अनिर्णीत
62.	पैरा संख्या 14 (6)	अनिर्णीत
63.	पैरा संख्या 14 (8)	अनिर्णीत
64.	पैरा संख्या 14 (9)	अनिर्णीत
65.	पैरा संख्या 17	अनिर्णीत

(ड.) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1998 से 3/1999

1.	पैरा संख्या 4	अनिर्णीत
2.	पैरा संख्या 5 (क)	अनिर्णीत
3.	पैरा संख्या 5 (ख)	अनिर्णीत
4.	पैरा संख्या 5 (ग)	अनिर्णीत
5.	पैरा संख्या 5 (ग) (1)	अनिर्णीत
6.	पैरा संख्या 5 (ग) (2)	अनिर्णीत
7.	पैरा संख्या 5 (घ)	अनिर्णीत
8.	पैरा संख्या 5 (ड.)	अनिर्णीत
9.	पैरा संख्या 5 (च)	अनिर्णीत
10.	पैरा संख्या 5 (छ)	अनिर्णीत
11.	पैरा संख्या 6	अनिर्णीत
12.	पैरा संख्या 7 (1)	अनिर्णीत
13.	पैरा संख्या 7 (2)	अनिर्णीत
14.	पैरा संख्या 7 (3)	अनिर्णीत
15.	पैरा संख्या 7 (4)	अनिर्णीत
16.	पैरा संख्या 7 (5)	अनिर्णीत
17.	पैरा संख्या 7 (6)	अनिर्णीत
18.	पैरा संख्या 8	अनिर्णीत
19.	पैरा संख्या 9	अनिर्णीत
20.	पैरा संख्या 10	अनिर्णीत
21.	पैरा संख्या 11 (1)	अनिर्णीत

22. पैरा संख्या 11 (2) अनिर्णीत

23. पैरा संख्या 11 (3) अनिर्णीत

24. पैरा संख्या 11 (4) अनिर्णीत

25. पैरा संख्या 11 (6) अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1999 से 3/2001

1.	पैरा संख्या 6	अनिर्णीत
2.	पैरा संख्या 7	अनिर्णीत
3.	पैरा संख्या 8	अनिर्णीत
4.	पैरा संख्या 9	अनिर्णीत
5.	पैरा संख्या 10	अनिर्णीत
6.	पैरा संख्या 11 (4)	अनिर्णीत
7.	पैरा संख्या 11 (5)	अनिर्णीत
8.	पैरा संख्या 11 (8)	अनिर्णीत
9.	पैरा संख्या 11 (9) (i) (ii) (iii)	अनिर्णीत
10.	पैरा संख्या 11 (10) (1)	अनिर्णीत
11.	पैरा संख्या 11 (10) (2)	अनिर्णीत
12.	पैरा संख्या 11 (10) (3)	अनिर्णीत
13.	पैरा संख्या 11 (10) (4)	अनिर्णीत
14.	पैरा संख्या 11 (11) (1)	अनिर्णीत
15.	पैरा संख्या 11 (11) (2)	अनिर्णीत
16.	पैरा संख्या 12 (1)	अनिर्णीत
17.	पैरा संख्या 12 (2)	अनिर्णीत
18.	पैरा संख्या 13	अनिर्णीत
19.	पैरा संख्या 14 (1)	अनिर्णीत
20.	पैरा संख्या 14 (2)	अनिर्णीत
21.	पैरा संख्या 14 (ख)	अनिर्णीत
22.	पैरा संख्या 14 (ग) (1)	अनिर्णीत
23.	पैरा संख्या 14 (ग) (2)	अनिर्णीत

24.	पैरा संख्या 15 (1)	अनिर्णीत	
25.	पैरा संख्या 15 (2)	अनिर्णीत	
26.	पैरा संख्या 15 (3)	अनिर्णीत	

(छ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2001 से 3/2005

1.	पैरा संख्या 7 (i)	निर्णीत	(₹11000 मैगजीन निधि में जमा करने बारे दिनांक 2.8.2016 को पुष्टि कर ली गई)
2.	पैरा संख्या 7 (ii)	निर्णीत	(₹2180 मैगजीन निधि में जमा करने बारे दिनांक 2.8.2016 को पुष्टि कर ली गई)
3.	पैरा संख्या 8	निर्णीत	(₹2528 मिश्रित निधि में जमा करने बारे दिनांक 2.8.2016 को पुष्टि कर ली गई)
4.	पैरा संख्या 11	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
5.	पैरा संख्या 12	अनिर्णीत	
6.	पैरा संख्या 13	अनिर्णीत	
7.	पैरा संख्या 14	अनिर्णीत	
8.	पैरा संख्या 15	अनिर्णीत	
9.	पैरा संख्या 16 (iii) (ख)	निर्णीत	(₹662 मिश्रित निधि में जमा करने बारे दिनांक 2.8.2016 को पुष्टि कर ली गई)
10.	पैरा संख्या 17	अनिर्णीत	
11.	पैरा संख्या 20	निर्णीत	(₹4100 मिश्रित निधि में जमा करने बारे दिनांक 2.8.2016 को पुष्टि कर ली गई)
12.	पैरा संख्या 20 (iii)	निर्णीत	(वास्तव में पैरा 21 (iii) है तथा अभिलेख की पुष्टि कर ली गई है)

(ज) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2010

1.	पैरा संख्या 7 (i)	अनिर्णीत	
2.	पैरा संख्या 7 (ii)	अनिर्णीत	
3.	पैरा संख्या 8	अनिर्णीत	
4.	पैरा संख्या 9	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
5.	पैरा संख्या 10 (1)	अनिर्णीत	

6.	पैरा संख्या 10 (2)	अनिर्णीत	
7.	पैरा संख्या 11	अनिर्णीत	
8.	पैरा संख्या 14	निर्णीत	(₹2148 मिश्रित निधि में जमा करने वारे दिनांक 2.8.2016 को पुष्टि कर ली गई है)
9.	पैरा संख्या 16 (i)	अनिर्णीत	
10.	पैरा संख्या 17	आंशिक निर्णीत	(क्रम संख्याः 4, 6, से 8 निपटारे हेतु शेष)
11.	पैरा संख्या 19	निर्णीत	(₹795 मिश्रित निधि में जमा करने बारे दिनांक 2.8.2016 को पुष्टि कर ली गई है)
12.	पैरा संख्या 20	अनिर्णीत	
13.	पैरा संख्या 21	अनिर्णीत	
14.	पैरा संख्या 23	अनिर्णीत	
15.	पैरा संख्या 25	अनिर्णीत	

(झ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2012

1.	पैरा संख्या 4	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई)
2.	पैरा संख्या 5	अनिर्णीत	
3.	पैरा संख्या 6	अनिर्णीत	
4.	पैरा संख्या 7 (I से V)	अनिर्णीत	
5.	पैरा संख्या 8 (I से IV)	अनिर्णीत	
6.	पैरा संख्या 9	अनिर्णीत	
7.	पैरा संख्या 10	अनिर्णीत	
8.	पैरा संख्या 11	अनिर्णीत	
9.	पैरा संख्या 12	अनिर्णीत	
10.	पैरा संख्या 13	अनिर्णीत	
11.	पैरा संख्या 14	अनिर्णीत	
12.	पैरा संख्या 15	अनिर्णीत	
13.	पैरा संख्या 16	अनिर्णीत	

14. पैरा संख्या 17 अनिर्णीत

15. पैरा संख्या 18 निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)

16. पैरा संख्या 19 अनिर्णीत

17. पैरा संख्या 20 अनिर्णीत

18. पैरा संख्या 21 (i व ii) अनिर्णीत

19. पैरा संख्या 21 अनिर्णीत

20. पैरा संख्या 22 अनिर्णीत

21. पैरा संख्या 23 अनिर्णीत

22. पैरा संख्या 24 अनिर्णीत

23. पैरा संख्या 25 अनिर्णीत

24. पैरा संख्या 26 अनिर्णीत

25. पैरा संख्या 27 अनिर्णीत

26. पैरा संख्या 28 अनिर्णीत

राजकीय महाविद्यालय ढलियारा के अंकेक्षण अवधि 4/2012 से 3/2016 में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सारः—

क्र0 सं0	पैरा सं0	आपत्ति का संक्षित सार	राशि(लाखों में)
1.	5	कम्प्यूटर प्रैक्टिकल निधि के रूप में कम वसूली करना	6.13
2.	6	छात्रों से गृह परीक्षा निधि की वसूली न करना	1.75
3.	7	छात्रों से की अनाधिकृत/अधिक वसूली करना	13.50
4.	8	मिश्रित निधि में राशि कम जमा करवाना	0.12
5.	9	स्वयं वित्तीय प्रबंधन के छात्रों को मिश्रित तथा खेलकूद निधि से अनियमित भुगतान करना	0.94
6.	10	पहचान पत्र निधि से अधिक भुगतान करना	0.17
7.	11	मिश्रित निधि से श्रीमति श्रुति शर्मा प्राध्यापिका को अनियमित भुगतान	0.03
8.	12	मिश्रित निधि से अनियमित भुगतान	0.40

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :–

राजकीय महाविद्यालय ढलियारा के छात्र निधि लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण अवधि 4/2012 से 3/2016 तक, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए हैं, श्री जितेन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारी व श्री जीवन कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 11.7.2016 से 4.8.2016 तक ढलियारा में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

क्र0 सं0	सत्र	आय	व्यय
1.	2012–13	6/2012	11/2012
2.	2013–14	6/2013	12/2013
3.	2014–15	6/2014	12/2014
4.	2015–16	6/2015	6/2015

वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं वित्तीय स्थिति को प्रधानाचार्य द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी गलत सूचना अथवा सूचना जो प्रदान नहीं की गई है, की जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है। विभाग की जिम्मेवारी केवल विस्तृत जांच हेतु चयनित मासों तक सीमित है।

अंकेक्षण अवधि में निम्न विवरणानुसार प्रधानाचार्यों ने आहरण एवं वितरण अधिकारियों के रूप में कार्य किया।

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	अवधि
1.	डा. राकेश कुमार जिंदल	1.4.2012 से 30.11.2013
2.	श्री एस0सी0 चौधरी	1.12.2013 से 15.6.2014
3.	श्री सतीश चन्द्र	16.6.2014 से 20.1.2016
4.	श्री एस0सी0 चौधरी	21.1.2016 से 27.3.2016
5.	श्रीमति मधु वाला	28.3.2016 से लगातार

3. अंकेक्षण शुल्क :–

संस्था के छात्र निधि लेखाओं अवधि 4/2012 से 3/2016 तक का अंकेक्षण शुल्क का आकलन ₹32000 किया गया, जिसकी गणना का विस्तारपूर्वक विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्र0 सं0	सत्र	निधि से आय	अंकेक्षण शुल्क
1.	2012—13	2967135	8000
2.	2013—14	2888520	8000
3.	2014—15	4737554	8000
4.	2015—16	4791179	8000
		योग	**₹32000**

उपरोक्त वर्णित अंकेक्षण शुल्क ₹32000 को ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि0प्र0) को भेजने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 183/2016, दिनांक 30.7.2016 के द्वारा प्रधानाचार्य से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में महाविद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा बैंक ड्राफ्ट संख्याः 795466, दिनांक 1.8.2016 कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक नैहरनपुखर (कांगड़ा), से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि0प्र0) को प्रेषित कर दिया गया।

4. वित्तीय स्थिति :—

(क) राजकीय महाविद्यालय ढलियारा के वर्तमान छात्र निधि लेखों अवधि 1.4.2012 से 31.3.2016 तक की वित्तीय स्थिति व दिनांक 31.3.2016 को विभिन्न निधियों की रोकड़ वहियों के अन्तिम शेषों का विवरण, बैंक खातों का विवरण, उनमें पाए गए अन्तर तथा अन्तर के कारणों सहित **परिशिष्ट "क"** पर उल्लेखित व सलंग्न है।

अन्तर तथा अन्तर के कारणः—

राजकीय महाविद्यालय ढलियारा की विज्ञान, मिश्रित, मैगजीन, जुर्माना व लाइब्रेरी प्रतिभूति निधि की रोकड़ वहियों तथा बैंक जमाओं में क्रमशः ₹10832, ₹20, ₹4200, ₹800 व ₹2099 का अन्तर पाया गया, जिसके कारण नियमानुसार थे।

(i) विज्ञान निधिः—

दिनांक 18.9.2015 को मिश्रित निधि की ₹20 विज्ञान निधि में जमा करवाए गए। चैक संख्याः 166419, दिनांक 1.12.2015 तथा चैक संख्याः 419183, दिनांक 23.3.2016 क्रमशः ₹2289 तथा ₹8523 के जारी किए गए, जिन्हें दिनांक 31.3.2016 तक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः अन्तर ₹10832 (20+2289+8523) बना, जिसका समायोजन शीघ्र किया जाए।

(ii) मिश्रित निधिः–

दिनांक 18.9.2015 को मिश्रित निधि की ₹20 विज्ञान निधि में जमा करवाए गए, जिसका समायोजन शीघ्र किया जाए।

(iii) मैगजीन निधिः–

दिनांक 30.6.2014 को मैगजीन निधि की ₹800 जुर्माना निधि में जमा करवाए गए। चैक संख्याः 683489, दिनांक 8.12.2015 ₹5000 का जारी किया गया, जिसे दिनांक 31.3.2016 तक भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः अन्तर ₹4200 (₹5000–₹800) बना, जिसका समायोजन शीघ्र किया जाए।

(iv) जुर्माना निधिः–

दिनांक 30.6.2014 को मैगजीन निधि की ₹800 जुर्माना निधि में जमा करवाए गए, जिसका समायोजन शीघ्र किया जाए।

(v) लाइब्रेरी प्रतिभूति निधिः–

चेक संख्याः 418610, दिनांक 8.12.2015 ₹2099 रूपये का जारी किया गया, जिसे दिनांक 31.3.2016 तक भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत नहीं किया गया।

(ख) अंकेक्षण में पाया कि संस्था द्वारा दिनांक 31.3.2016 को ₹13948321 बैंक में बचत खातों में जमा थे। यदि वास्तविक व्यय को ध्यान में रखते हुए इन छात्र निधियों का एक समुचित भाग सावधि जमा योजनाओं में निवेश किया जाता तो संस्थान को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय अर्जित होती, जिसका उपयोग छात्रों के चहुमुखी विकास हेतु किया जा सकता था। अतः परामर्श दिया जाता है कि संस्था द्वारा अपने स्तर पर आन्तरिक जांच करके अतिरिक्त राशियों का सही प्रकार से उचित वित्तीय प्रबन्धन किया जाना भी सुनिश्चित करें, ताकि संस्थान को अतिरिक्त ब्याज की प्राप्ति से वन्चित न होना पड़े।

5. कम्प्यूटर प्रैक्टिकल निधि के रूप में ₹6.13 की कम वसूली करने बारे :–

हि0प्र0 सरकार, उच्च शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्याः EDN-A-KHA(8)1/2001, दिनांक 1.6.2010 के क्रम संख्याः 28 के अनुसार कम्प्यूटर प्रैक्टिकल निधि की वसूली वाणिज्य एवं गणित की सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों से ₹15 प्रति माह प्रति विद्यार्थी वसूलना अपेक्षित था, जबकि जांच में पाया कि अवधि 4/2012 से 3/2016 तक इस निधि के रूप में केवल वाणिज्य

एवं गणित की तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों से ही वसूली की गई थी एवं अन्य कक्षाओं में अध्ययनरत इन विषयों के विद्यार्थियों से इस निधि की वसूली नहीं की गई थी। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 176, दिनांक 23.7.2016 द्वारा रूसा के अन्तर्गत अध्ययनरत उक्त विषयों के विद्यार्थियों से वसूली न करने का मामला महाविद्यालय की प्रधानाचार्य महोदया के ध्यान में लाया गया था। अतः इस बारे नियमानुसार वान्छित कार्यवाही की जाए तथा ₹613140 की वसूली निम्नानुसार उचित स्त्रोत से करके निधि में जमा करके अनुपालना से अवगत करवाया जाए।

सत्र	कक्षा	छात्र	दर	राशि
2012–2013	BA I	12	180	2160
	BA II	6	180	1080
	BCOM I	217	180	39060
	BCOM II	138	180	24840
	BSC I NM	184	180	33120
	BSC II NM	66	180	11880
2013–2014				
	BA SEM 1	1	90	90
	BA SEM 2	1	90	90
	BA II	13	180	2340
	BCOM SEM 1	120	90	10800
	BCOM SEM II	117	90	10530
	BCOM II	216	180	38880
	BSC SEM I MATH	284	90	25560
	BSC SEM II MATH	284	90	25560
	BSC II	111	180	19980
2014–15				
	BA SEM III	1	90	90
	BA SEM IV	1	90	90
	BCOM SEM I	120	90	10800
	BCOM SEM II	117	90	10500
	BCOM SEM III	110	90	9900

	BCOM SEM IV	110	90	9900
	BSC SEM I	348	90	31320
	BSC SEM II	348	90	31320
	BSC SEM III	284	90	25560
	BSC SEM IV	284	90	25560
2015–16	BA SEM V	1	90	90
	BSC SEM I	140	90	12600
	BSC SEM II	118	90	10620
	BSC SEM III	117	90	10530
	BSC SEM IV	117	90	10530
	BSC SEM V	110	90	9900
	BSC SEM VI	110	90	9900
	BSC SEM I	448	90	40320
	BSC SEM II	414	90	37260
	BSC SEM III	263	90	23670
	BSC SEM IV	263	90	23670
	BSC SEM V	256	90	23040
			Total	**₹613140**

6. छात्रों से गृह परीक्षा निधि ₹1.75 की वसूली न करना :–

निदेशक उच्चतर शिक्षा हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्याः EDN-H-(8) 14/84–2012, दिनांक 23.12.2013 के द्वारा CBCS/CCE/semester system at undergraduate level के छात्रों से गृह परीक्षा निधि प्रति छात्र ₹40 की दर से प्रति सेमेस्टर वसूली जानी अपेक्षित है, परन्तु महाविद्यालय में रूसा के अन्तर्गत अध्ययन कर रहे छात्रों से एक सेमेस्टर में तो परीक्षा निधि ₹40 की दर से वसूल कर ली गई तथा दूसरे सेमेस्टर में वसूली नहीं की गई, अर्थात सेमेस्टर की बजाय वार्षिक आधार पर गृह परीक्षा निधि की वसूली छात्रों से करने के कारण निम्नानुसार ₹175040 छात्रों से गृह परीक्षा निधि कम वसूली गई। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 177, दिनांक 23.7.2016 द्वारा रूसा के अन्तर्गत अध्ययनरत विद्यार्थियों से गृह परीक्षा निधि की वसूली न करने का मामला महाविद्यालय की प्रधानाचार्य महोदया के ध्यान में

लाया गया था। अतः इस बारे नियमानुसार वान्छित कार्यवाही करते हुए ₹175040 की वसूली उचित स्त्रोत से करके निधि में जमा करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

सत्र	कक्षा	छात्र	दर	राशि
2013–2014	BA SEM II	208	40	8320
	BCOM SEM II	120	40	4800
	BSC SEM I	148	40	16720
2014–2015	BA SEM II	261	40	10440
	BCOA SEM IV	162	40	6480
	BCOM SEM II	120	40	4800
	BCOM SEM IV	112	40	4480
	BSC SEM II	423	40	16920
	BSC SEM IV	332	40	13280
2015–2016	BA SEM II	295	40	11800
	BA SEM IV	213	40	8520
	BA SEM VI	158	40	6320
	BCOM SEM II	140	40	5600
	BCOM SEM IV	119	40	4760
	BCOM SEM VI	110	40	4400
	BSC SEM II	521	40	20840
	BSC SEM IV	351	40	14040
	BSC SEM VI	313	40	1250
			Total	**₹175040**

7. विकास शुल्क की ₹13.50 की अनाधिकृत/अधिक वसूली करना :–

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शैक्षणिक शाखा की अधिसूचना संख्याः 5–25/2013 हि0प्र0 वि (शै) दिनांक 15.10.2014 के अनुसार छात्रों से विकास शुल्क वसूली दर ₹200 वार्षिक प्रति छात्र सत्र 2014–15 से निर्धारित की गई है, परन्तु महाविद्यालय में विकास शुल्क ₹500 वार्षिक की दर से वसूलने के कारण निम्नानुसार छात्रों से ₹1349700 की अनाधिकृत/अधिक वसूली की गई, जिसके बारे में मामला महाविद्यालय की प्रधानाचार्य महोदया के ध्यान में अनुभाग अधिकारी के

पत्र क्रमांक 178, दिनांक 23.7.2016 के द्वारा लाया गया। अतः इस तरह की पुर्नावृति को रोकने हेतु आन्तरिक जांच प्रणाली को सुदृढ़ किया जाए, जिससे छात्रों पर अनावश्यक वित्तीय भार न पड़ सके।

सत्र	छात्र सं0	वसूली गई दर	वसूली योग्य दर	अन्तर	अधिक वसूली
2014—15	2174	500	200	300	652200
2015—16	2325	500	200	300	697500
				योग	₹1349700

8. मिश्रित निधि में ₹0.12 लाख कम जमा करवाना :—

छात्रों से वसूली गई निधियों की जांच करने पर पाया गया कि दिनांक 26.6.2015 को मिश्रित निधि में ₹42820 तथा विज्ञान निधि में ₹31080 की छात्रों से वसूली की गई, परन्तु दिनांक 27.6.2015 को मिश्रित निधि में ₹31080 तथा विज्ञान निधि में ₹42820 रोकड़ वही में दर्ज करने के उपरान्त बैंक में जमा करवाए गए। इस प्रकार मिश्रित निधि में ₹11740 (₹42820—31080) कम जमा करवाए गए, जिसे अंकेक्षण आपत्ति के उपरान्त दिनांक 26.7.2016 को मिश्रित निधि में जमा करवाया गया तथा पुष्टि कर ली गई है। अतः भविष्य में वित्तीय नियमों को ध्यान में रखते हुए निधियों का संचालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9. स्वयं पोषित योजना के छात्रों को मिश्रित तथा खेलकूद निधि से ₹0.94 लाख का अनियमित भुगतान करना :—

अंकेक्षण अवधि 1.4.2012 से 31.3.2016 तक स्वयं पोषित योजना वित्तीय प्रबन्धन के अन्तर्गत चलाई जा रही कक्षाओं यथा BBA, BCA, PGDCA के छात्रों को प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए ₹93808 का दैनिक भत्ते, किराए तथा जलपान का मिश्रित व खेलकूद निधि से भुगतान करना उचित नहीं होने के कारण मामला महाविद्यालय के ध्यान में अनुभाग अधिकारी पत्र क्रमांक 182, दिनांक 28.7.2016 के द्वारा लाया गया। इस अनियमित भुगतान की वसूली करके प्रधानाचार्य महोदया द्वारा मिश्रित तथा खेलकूद निधि में क्रमशः ₹17418 रूपये तथा ₹76390 दिनांक 2.8.2016 जमा करवाए गए तथा पुष्टि कर ली गई।

10. पहचान पत्र निधि से ₹0.17 लाख का अधिक भुगतान करना :—

प्रधान सचिव (शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्याः EDN-A-KHA(8)1/2001, दिनांक 1.6.2010 द्वारा अनुमोदित दर के अनुसार छात्रों से पहचान पत्र निधि ₹10 रूपये वार्षिक

प्रति छात्र वसूली गई, परन्तु निम्नानुसार अधिक दर पर पहचान पत्र क्रय करने के कारण के पहचान पत्र निधि से ₹17102 रूपये का अधिक भुगतान किया गया, जिसे सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

वा0 सं0	मास	मात्रा	भुगतान दर	देय दर	अन्तर	अधिक भुगतान
12	6/2012	200	10.25	10	.25	500
133	7/2013	1989	11.15	10	1.15	2287
209	6/2014	2100	13.95	10	3.95	8295
274	6/2015	2800	12.15	10	2.15	6020
					योग	**₹17102**

11. मिश्रित निधि से श्रीमति श्रुति शर्मा प्राध्यापिका को ₹0.03 रूपये का अनियमित भुगतान :-

वाउचर संख्याः 252, मास 3/2015 के द्वारा श्रीमति श्रुति शर्मा प्राध्यापिका को ₹3543 का भुगतान शिमला में आयोजित छात्रों के यूथ फेस्टिवल में छात्रों के साथ जाने के लिए बतौर दैनिक भत्ता तथा होटल किराये के रूप में किया गया, परन्तु हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अध्यादेश 42.2(xxiii) के अनुसार उन्हें दैनिक भत्ता तथा किराया (TA & DA) ही मिश्रित निधि से देय था तथा होटल किराया ₹2400 उन्हें मिश्रित निधि से देय न होने के कारण अंकेक्षण आपत्ति के उपरान्त मिश्रित निधि में दिनांक 20.7.2016 को जमा करवा दिया गया और पुष्टि भी कर ली गई है।

12. मिश्रित निधि से ₹0.40 लाख का अनियमित भुगतान :-

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अध्यादेश 42.2 के अनुसार मिश्रित निधि से निम्नानुसार किया गया व्यय ₹39710 निधि पर वैध प्रभार नहीं है, जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके राशि मिश्रित निधि में जमा करवाई जाए।

वा0 सं0	मास	विवरण	राशि
298	12/2015	श्री सुरिन्द्र सिंह Lab Attendent को यात्रा भत्ते दावे का भुगतान	4710
311	3/2016	Affiliation fees paid to finance officer HPU Shimla for Mass Communication Subject	35000
		योग	**₹39710**

13. स्थाई व अस्थाई सामान का अलग–अलग स्टॉक रजिस्टर न रखने बारेः–

जांच के दौरान पाया गया कि विद्यालय में विभिन्न निधियों से खरीदे गए सामान का स्थाई व अस्थाई स्टॉक रजिस्टर अलग–अलग नहीं लगाया गया है, जबकि नियमानुसार स्थाई व अस्थाई स्टॉक रजिस्टर लगाना अनिवार्य है। अतः तुरन्त प्रभाव से सभी निधियों के स्थाई व अस्थाई अलग–अलग स्टॉक रजिस्टर तैयार किए जाएं व प्रत्येक मद हेतु अलग–अलग पृष्ठ आवंटित करके तदानुसार स्टॉक प्रविष्टियां की जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14. लघु आपत्ति विवरणी :–

इसे अलग से जारी नहीं किया गया, अपितु छोटी–छोटी आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

15. निष्कर्ष :–

लेखों में सुधार की आवश्यकता है एवं पूर्व की अंकेक्षण प्रतिवेदनों में लम्बित पैरों पर उचित कार्यवाही करने के उपरान्त शीघ्र अति शीघ्र समायोजित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

हस्ता/–
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या : फिन (एल0ए0)एच0(2)सी0(15)(11)(2) 392/85, खण्ड–6–5515–5517, दिनांकः 19. 10.2016, शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत

1. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय ढलियारा, जिला कांगड़ा हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, (उच्चतर शिक्षा), हि0प्र0 शिमला 171001
3. उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा) कांगड़ा, स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा हि0प्र0

हस्ता/–
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.